न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नाथूसिंह राठौड़ आर ए एस

राजस्व अपील / 225 / रा.का.अधि. / 12 / 2019 / बाड़मेर

अपीलांट

1. हमीराराम पुत्र चिमनाराम
2. वसुदेवी पत्नी फुआराम जाति जाट निवासी माडपुरा बरवाला
3. रूपाराम पुत्र देवीराम
4. मुलाराम पुत्र देवीराम
5. धनाराम पुत्र देवीराम
6. भीमाराम पुत्र देवीराम
7. श्रीमती जीवों पत्नी देवीराम जाति कलबी निवासी सड़ा तहसील सिणधरी
8. श्रीमती छोगीदेवी पत्नी उकाराम जाति कलबी निवासी सडा तहसील सिणधरी
9. चिमना पुत्र हेमाराम जाति मेगवाल निवासी डेडावा
10. दजा पुत्र हेमा
11. किस्तुरा पुत्र हेमा
12. शंकरलाल पुत्र केसाराम
13. केवाराम पुत्र केसाराम
14. श्रीमती देवी पत्नी केसाराम
15. हरजी पुत्र जुजा
16. मांगाराम पुत्र नेथीराम
17. वजाराम पुत्र नेथीराम
18. भावाराम पुत्र नेथीराम
19. भैराराम पुत्र नेथीराम
20. चेलाराम पुत्र नेथीराम
21. गंगा पुत्र भारथा
22. नैना पुत्र भारथा
23. मनरा पुत्र भारथा
24. प्रहलाद पुत्र भारथा
25. श्रीमती सकी पत्नी भारथा जाति मेगवाल निवासी सड़ा
26. नरणाराम पुत्र डायाराम
27. गजाराम पुत्र डायाराम
28. मांगाराम पुत्र डायाराम
29. दलाराम पुत्र डायाराम
30. पुनमाराम पुत्र हुकमाराम

रेस्पोडेंटगण

बनाम श्री बाणमाता देने वाला ठिकाणा नगर वाके देह खातेदार

1. नाथगिरी पुत्र रतनगिरी
2. सतगिरी पुत्र रतनगिरी
3. भूरगिरी पुत्र रतनगिरी
4. मिश्रगिरी पुत्र रतनगिरी
5. भावगिरी पुत्र रतनगिरी
6. रामगिरी पुत्र मोहनगिरी
7. जगदीशगिरी पुत्र मोहनगिरी
8. भंवरगिरी पुत्र भावगिरी
9. मगनगिरी पुत्र भावगिरी
10. हाकमगिरी पुत्र भुरगिरी जाति स्वामी निवासी सड़ा।
11. ग्राम पंचायत सड़ा जरिये सरपंच सड़ा।
12. शाखा प्रबन्धक बी सी सी बी शाखा सिणधरी।
13. शाखा प्रबन्धक आर एम जी बी सडा तहसील सिणधरी।
14. तहसीलदार सिणधरी
15. तिलोकाराम पुत्र हेमाराम
16. मगनाराम पुत्र हेमाराम
17. श्रीमती समदादेवी पत्नी हेमाराम
18. मगाराम पुत्र राजुराम
19. नानगराम पुत्र राजुराम
20. भैराराम पुत्र राजुराम
21. मनाराम पुत्र राजुराम
22. श्रीमती हीरादेवी पत्नी राजुराम जाति निवासी छोटू तहसील गुडामालानी।
23. गिरधारीराम पुत्र भगवानाराम
24. रेखाराम पुत्र भगवानाराम
25. हनुमानराम पुत्र भगवानाराम
26. मोटाराम पुत्र चुतराराम जाति जाट निवासी सड़ा तहसील सिणधरी

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

31. नवाराम पुत्र मालाराम
32. आदाराम पुत्र मालाराम
33. हमीराराम पुत्र रामाराम
34. नरसिंगाराम पुत्र रामाराम
35. जालाराम पुत्र रामाराम
36. पारसराम पुत्र रामाराम
37. झीमोंदेवी पुत्री रामाराम
38. द्रोपीदेवी पुत्री रामाराम
39. लीलादेवी पुत्री रामाराम
40. अणसीदेवी पत्नी रामाराम
जाति कलबी निवासी सडा
तहसील सिणधरी
41. सांवलाराम पुत्र अमराराम
42. चेलाराम पुत्र हेमाराम जाति
मेगवाल निवासी सड़ा तहसील
सिणधरी जिला बाड़मेर।

27.किशनसिंह पुत्र चुतराराम
28.श्रीमती अलका पत्नी गंगाराम
29.मोहित पुत्र गंगाराम जाति
जाट निवासी माडपुरा बरवाला
तहसील बायतु जिला बाड़मेर।
30. राणाराम पुत्र हेमाराम
मेगवाल निवासी सड़ा तहसील
सिणधरी जिला बाड़मेर।

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम निर्णय बाबत्

उपस्थिति

1. वकील श्री अमृतलाल जैन, श्री रमेश सोलंकी अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री पवनगिरी सोड़ियार रेस्पोडेंट संख्या 01 से 05 व 09 की ओर से।
3. वकील श्री मुकेश जैन रेस्पोडेंट संख्या 06 से 08 व 10 की ओर से।
4. वकील श्री जोगराज पोटलिया रेस्पोडेंट संख्या 15 से 17 व 30 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः– 17.12.2019

सर्वप्रथम धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर निर्णय करना उचित होगा। वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलाधीन निर्णय एकपक्षीय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी सम्मन पर अपीलांट की सम्यक तामिल नहीं हुई। अपीलांट के नाम जारी सम्मन को फर्जी तरीके से तामिल करवाई गई है। अपीलाधीन आवेदन बहैसियत पुजारी दावा पेश नहीं किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश में मंदिर का उल्लेख है जबकि इस भूमि पर मंदिर नहीं होकर मंदिर गांव में बना हुआ है। हस्तगत प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय में दर्ज करना ही उचित नहीं था। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आलोच्य आदेश पारित किया गया। अभी एक सप्ताह पूर्व विप्रार्थीगण उक्त आदेश की आड़ में आकर प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि जिसमें जीरे की फसल है उसमें प्रवेश कर नाप तोल करने लगे तब प्रार्थीगण ने विप्रार्थीगण को रोका तब विप्रार्थीगण ने अपीलांटगण को बताया कि उन्होंने अधीनस्थ न्यायालय से नया रास्ते की मांग की थी जिसमें हमे नया रास्ता स्वीकृत

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

30. पुनमाराम

Scanned by CamScanner

किया गया तब अपीलांटगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में जाकर उक्त आवेदन पत्र की व अपीलाधीन आदेश के बारे में जानकारी लेते हुए आवेदन प्रस्तुत किया जो दिनांक 20.02.2019 को नकले प्राप्त हुई तब सर्वप्रथम जानकारी हुई तथा वास्तविक ज्ञान की तारीख से अपील अन्दर मियाद पेश है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

वकील रेस्पोडेंट संख्या 01 से 05 व 09 ने धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अपीलांट के नाम जारी सम्मन पर तामिल पर्याप्त हो चुकी है। मामले को लंबा करने हेतु पेश किया गया। अपील पेश करने में हुई देरी के एक–एक दिन का विवरण बताना होता है जबकि अपीलांट द्वारा सुदीर्घ अवधि के बाद पेश अपील में हुई देरी का विवरण नहीं बताया गया। मौके पर रास्ता वर्तमान में चालु है। रास्ता रेस्पोडेंट/प्रार्थी की मूलभूत आवश्यकता है। अपीलांट की अपील मियाद बाहर है अपील पेश करने में हुई देरी का संतोषप्रद कारण नहीं बताया है अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अंतर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र खारिज फरमाया जाकर अपील इसी स्टेज पर खारिज फरमाई जावे।

वकील रेस्पोडेंट संख्या 06 से 08 व 10 ने धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अपीलांट के नाम जारी सम्मन पर तामिल पर्याप्त हो चुकी है। मामले को लंबा करने हेतु पेश किया गया। अपीलांटगण को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश ज्ञान किस प्रकार, किसके माध्यम से हुआ इसका कोई उल्लेख अपने प्रार्थना–पत्र में नहीं किया गया है। अपीलांटगण ने असाधारण विलम्ब का कोई न्यायोचित कारण अंकित नहीं किया गया है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय एवं माननीय राजस्व मण्डल के कई न्यायिक दृष्टांतों में यह अवधारित किया जा चुका है कि असाधारण विलम्ब का यदि कोई समुचित कारण अंकित नहीं किया जाता है तो म्याद के बिन्दु पर ही प्रकरण का निस्तारण सर्वप्रथम किया जाना न्यायोचित है। अपील पेश करने में हुई देरी के एक–एक दिन का विवरण बताना होता है जबकि अपीलांट द्वारा सुदीर्घ अवधि के बाद पेश अपील में हुई देरी का विवरण नहीं बताया गया। अपीलांट की अपील मियाद बाहर है अपील पेश करने में हुई देरी का संतोषप्रद कारण नहीं बताया है अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अंतर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र खारिज फरमाया जाकर अपील इसी स्टेज पर खारिज फरमाई जावे। अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने अपने कथन के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत पेश किये:–

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

30. पुनमाराम पुत्र हुकमाराम ... तहसील सिणधरी

Scanned by CamScanner

वकील रेस्पोडेंट संख्या 15 से 17 व 30 ने धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अपीलांट के नाम जारी सम्मन पर तामिल पर्याप्त हो चुकी है। अपीलांट की अपील मियाद बाहर है अपील पेश करने में हुई देरी का संतोषप्रद कारण नहीं बताया है अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अंतर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र खारिज फरमाया जाकर अपील इसी स्टेज पर खारिज फरमाई जावे।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनने एवं वकील रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत का गंम्भीरता से अवलोकन किया गया बाद अवलोकन, विवेचन, मनन के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण के नाम जारी सम्मन की फर्द पर तामिल की रिपोर्ट स्पष्ट रूप से प्रतिवेदित है अपीलांट संख्या 01, 02, 08 के नाम जारी सम्मन पुत्र से तामील करवाया गया है। अपीलांट संख्या 14, 15 को स्वयं से बाद तामील है। अपीलांट संख्या 03 से 07, 09 से 13, 16, 17, 41 व 42 के नाम जारी सम्मन आसामी घर पर नहीं मिलने के कारण दो मौतबिरान के रूबरू आबाद मकान पर चस्पा किया गया जो तामील की पर्याप्त श्रेणी में आता है। अपीलांट संख्या 18 से 40 के नाम रजिस्टर्ड सम्मन द्वारा तामील करवाई गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण के विरूद्ध बावजूद तामील/सूचना उपस्थित नहीं होने के कारण दिनांक 25.01.2018 को एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.12.2018 को पारित किया गया। अपीलांटगण पर्याप्त तामील के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय में जानबूझकर हाजिर नहीं हुऐ। अपीलांटगण द्वारा की गई देरी सदभाविक नहीं है। अपीलांटगण येन–केन प्रकारेण मामले में अवरोध डालकर इसे अनावश्यक चुनौती देने की मंशा रखते है और वे न्यायालय में सदभावना के साथ स्वच्छ हाथों से नहीं आए हैं। अपीलांटगण के इस अनावश्यक आपत्तिपूर्ण रवैये का कोई अंत भी नजर नहीं आता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मंगवाई मौका फर्द में स्पष्ट किया गया है कि अपीलाधीन रास्ते के अतिरिक्त अपीलाधीन आराजी से कटाण मार्ग तक पहुंचने का अन्य कोई नजदीक विकल्प नहीं है तथा प्रस्तावित रास्ता राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद में होकर मौके पर चालु है। इससे अपीलांट की रास्ता नहीं देने की नीयत साफ झलकती है। वह प्रस्तावित रास्ते में अवरोध पैदा करने की कार्यवाही में लिप्त है। अपीलांटगण की गैर कानूनी मांग स्वीकार्य नहीं हैं। इसलिए न्यायालय हाजा में

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

अपीलांट के आवेदन दिनांक 28.11.2019 बाबत मौका रिपोर्ट पुनः मंगवाने का कोई औचित्य नही समझता है। रेस्पोडेंट/प्रार्थी को रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता और अन्य कोई विकल्प उपलब्ध नहीं होने से न्यूनतम दूरी वाला रास्ता दिया गया है जो नितांत विधि सम्मत एवं युक्तिसंगत है। अपीलांटगण की केवल हठधर्मिता के मद्देनजर रेस्पोडेंट/प्रार्थी को उसको मिले रास्ते के विधिक अधिकार से वंचित रखना कतई न्यायोचित नहीं है। अपीलांट द्वारा पेश धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र में कहीं पर इस बात का उल्लेख नहीं किया गया है कि अपीलांटगण अपीलाधीन आदेश की जानकारी इतने समय तक केसे नहीं हुई। अपीलांट द्वारा अपील तकरीबन 02 माह की देरी के बाद पेश की गई जबकि इतनी सुदीर्घ अवधि को Explain भी नहीं किया गया। उपरोक्त विवेचन एवं पत्रावली पर मौजूद तथ्यों तथा रेस्पोडेंट अधिवक्ता द्वारा पेश न्यायिक दृष्टांतों के आलोक में अपील मियाद के बिंदु पर खारिज करने योग्य ठहरती है। अतः अपील को मियाद बाहर करने के आदेश दिये जाते है।

अतः अपील अपीलांट मियाद के बिंदु पर खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर सिणधरी द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 185/2017 बअनवान नाथगिरी वगैरह बनाम मगाराम में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.12.2018 को यथावत रखा जाता है।

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

17/12/19
(नाथूसिंह राठौड़)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 17.12.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

17/12/19
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

Scanned by CamScanner